UPST010056102026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर
उपस्थित–नीरज कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code-UP2693)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1895/2026

जुनैद सुत कौसर, निवासी ग्राम रिठौरा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली।

बनाम

राज्य उ0 प्र0।

अपराध संख्या–288/2025,
धारा–137 (2), 87, 319 (2), 318 (4), 142, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता
व धारा–16/17 पॉक्सो ऐक्ट,
थाना जगदीशपुर, जिला अमेठी।

दिनांकः–24.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त जुनैद की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ कैशर खां का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा राजकुमार यादव द्वारा दिनांक 04.10.2025 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि उसकी लड़की पीड़िता उम्र लगभग 14 वर्ष दिनांक 03.10.2025 की रात 03 बजे के करीब घर से गायब हो गयी है। रात्रि दो बजे के बाद घर के मोबाइल पर मो0 नं0 9636874649 व 8858993221 से फोन आया था। उसने अपनी लड़की की काफी खोजबीन किया, किन्तु पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला–फुसलाकर भगा ले गया है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय न्यायालय के समक्ष न ही किसी अन्य न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न ही निस्तारित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उपरोक्त मुकदमे में महज रंजिशन हैरान व परेशान करने के लिये झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी उपरोक्त घटना में नामजद अभियुक्त नहीं है। कथित घटना की पीड़िता को कोई बाह्य व आन्तरिक चोट–खरोंच नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0 एन0 एस0 एस0 में परस्पर विरोधाभास है। घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में छल एवं बेईमानीपूर्वक वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 14 वर्ष को विवाह आदि करके अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करने के आशय से उसको बहला–फुसलाकर उसका व्यपहरण कर लैंगिक अपराध कारित किया गया एवं उसे गलत तरीके से छिपाकर रखा। अभियुक्त का कृत्य जमानत योग्य नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–137 (2), 87 भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त जुनैद का नाम प्रकाश में लाते हुये उसके विरूद्ध धारा–319 (2), 318 (4), 142, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता व धारा–16/17 पॉक्सो ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी० एन० एस० एस० में कथन किया है कि उसकी जन्मतिथि 15.06.2012 है। वह दिनांक 03.10.2025 को रात्रि करीब 8–9 बजे मेला देखने कस्बा जगदीशपुर में निकली थी। शुकुलबाजार मोड़ के पास मो० जैद उसे अपने रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले गया। तीन दिन रखा, फिर जैद बरेली के आगे कहीं ट्रेन से ले गया, वहां दो–तीन दिन उसके साथ रूका रहा। फिर वहां जुनैद के पास छोड़ दिया। उन्होंने यह बताया कि अगर कहीं भागने की कोशिश की, तो गाड़ी के डिग्गी में भरकर बेच दिया जायेगा, जिससे वह डर गयी, जैसे कहते रहे, वैसा करती रही। उन्होंने उनके प्लांट पर गाड़ी चलाने वाले सिकन्दर के लड़के गोलू उर्फ रितिक यादव से उसकी शादी करा दिया और जुनैद उसका भाई बनकर अपना नाम राहुल यादव बताकर उसके समाज के लोगों को यह बताया कि इस लड़की के मां–बाप मर गये हैं। उसके बाद वह और रितिक उर्फ गोलू पति–पत्नी की तरह रहने लगे। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी० एन० एस० एस० में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2025 को मेला देखने वह अकेले चली गयी। एक रिक्शा वाला बार–बार पूछ रहा था कहां जाना है, तो वह उसके रिक्शे पर बैठ गयी, लेकिन घर का रास्ता भूल गयी, तो वह अपने घर ले गया। घर पर उसकी मम्मी व बहन थी। वहां पर 2–3 दिन रही। उसकी मम्मी ने कहा कि इस लड़की के पापा ने मुकदमा लिखवा दिया, तब वह उसे लेकर बरेली चला गया और एक जगह छोड़ दिया। वहां 2–3 औरतें व आदमी था, जुनैद भी था। उसने उसे सिकन्दर सिंह के घर जाकर छोड़ दिया और उसके लड़के से उसकी मर्जी से शादी कर दी। विद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र में पीड़िता की जन्मतिथि 15.06.2012 अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता की उम्र घटना तिथि को 13 वर्ष 03 माह 18 दिन होती है। पीड़िता के बयानों से जाहिर होता है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुये नाबालिग पीड़िता उम्र करीब 13 वर्ष 03 माह को अपने घर पर रखा गया एवं उसे धमकाकर उसकी शादी किसी अन्य के साथ करा दी गयी।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कारित घटना, पीड़िता की उम्र, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0 एन0 एस0 एस0 एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त जुनैद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1895/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–24.06.2026

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर।
(J.O. Code-UP2693)

आशुलिपिक
(श्याम चन्द)

Digitally signed by NEERAJ KUMAR SHRIWASTAV
Date: 2026.06.24 17:37:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court